फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीमती मांगी पुत्री वेणीराम जी कुमावत निवासी धोइन्दा हाल मुकाम कुम्हारिया खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—**अपीलांट्स**

बनाम

1. श्रीमती जमनी पुत्री वेणीराम जी कुमावत (पत्नी रामचन्द्र जी कुमावत) निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द, हाल मुम्बई बी./404, आनन्द नगर, रेती बन्दर रोड, ठाकुर्ली, जिला ठाणे, मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. श्री महेन्द्र कुमार उर्फ हरिशंकर पिता रामचन्द्र जी कुमावत, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द, हाल मुम्बई बी./404, आनन्द नगर, रेती बन्दर रोड, ठाकुर्ली, जिला ठाणे, मुम्बई (महाराष्ट्र)
   दुसरा पता श्री आनन्द एप्लाएसेज शॉप नं. 2 आर्य दर्शन सोसायटी प्रेस्टिज होटल के सामने घनश्याम गुप्ते रोड, डोम्बीवली (वेस्ट) मुम्बई
3. श्री मनीष पिता रामचन्द्र जी कुमावत, निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द, हाल मुम्बई बी./404, आनन्द नगर, रेती बन्दर रोड, ठाकुर्ली, जिला ठाणे, मुम्बई (महाराष्ट्र)
   दुसरा पता श्री आनन्द एप्लाएसेज शॉप नं. 2 आर्य दर्शन सोसायटी प्रेस्टिज होटल के सामने घनश्याम गुप्ते रोड, डोम्बीवली (वेस्ट) मुम्बई
4. तहसीलदार राजसमन्द

— **रेस्पोण्डेंट्स**

किस्म मुकदमा— नामान्तरण अपील **पत्रावली संख्या 15/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.08.2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। सभी पक्षकारान ने दिनांक 10.08.2020 को अपीलांट व रेस्पोण्डेंट संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा हो जाना जाहीर कर निवेदन किया है कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोण्डेंट संख्या 1, 2, 3 के मध्य हुए राजीनामा अनुसार अपीलार्थी व रेस्पोण्डेन्ट संख्या 01 के पिता स्वर्गीय श्री वेणीराम जी द्वारा रेस्पोण्डेंट श्रीमती जमनी व श्री महेन्द्र कुमार उर्फ हरिशंकर के पक्ष में निष्पादित वसीयत जिसका पंजीयन दिनांक 05.06.1993 को स्वर्गीय श्री वेणीराम जी द्वारा करवाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने इस अपील में आपतियॉ उठाई है, उक्त वसीयत के संबंध में उठाई गई समस्त आपतियों को अपीलार्थी विड्रो कर उक्त वसीयत श्री वेणीराम जी द्वारा विधिवत निष्पादित एवं पंजीकृत करवाई जाना एवं उक्त वसीयत श्री वेणीराम जी की अंतिम वैध वसीयत होना स्वीकार करती हैं। उक्त वसीयत के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कोई आपती नही हैं और अपीलार्थी व उसके वारिसान उक्त वसीयत की वैधता के संबंध में किसी भी प्रकार की आपती नहीं उठायेंगें। वादग्रस्त कृषि भूमियों, ग्राम	

धोईन्दा में श्री रामलाल खनाडिया के मकान के पास स्थित मकान व श्री किशनलाल सिंगलवाल के मकान के पास स्थित नोहरा (बाडा) सहित श्री वेणीराम जी के पास उनकी मृत्यु के समय जो भी चल–अचल सम्पति थी, वो उक्त वसीयत के जरिये रेस्पोडेन्ट श्रीमती जमना व श्री महेन्द्र कुमार उर्फ हरिशंकर को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी को कोई आपति नही हैं एवं न ही अपीलार्थी व उसके वारिसान भविष्य में उक्त सम्पतियों के संबंध में कोई आपति करेंगें। उभयपक्षों में हुए राजीनामा के तहत रेस्पोण्डेंट संख्या 1 से 3 ने बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने सहखातेदारी की राजस्व ग्राम धोइन्दा की आराजी सं0 1319 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि एवं आराजी सं0 1629 रकबा 14 बिस्वा भूमि अपीलार्थी को राजीनामें से दिया जाना तय किया हैं। आराजी संख्या 1319 में से जो 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि दिया जाना तय किया है, वह आराजी संख्या 1629 के सटमा भाग में से दी जा रही हैं, अर्थात आराजी संख्या 1629, 1319 में से एक चक दो बीघा भूमि अपीलार्थी को दी जा रही हैं। उभयपक्षों में अब स्वर्गीय श्री वेणीराम जी की सम्पति बाबत कोई विवाद शेष नही रहा है, अपीलार्थी या उसके वारिसान को भविष्य में स्वर्गीय श्री वेणीराम जी की किसी सम्पति में से कोई हक क्लेम करने का अधिकार नही होगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 के नाम पर राजस्व ग्राम धोईन्दा की आराजी संख्या 773, 1260, 1269, 1322, 2822 की सम्पूर्ण भूमि एवं आराजी संख्या 1319 में से 13 बिस्वा भूमि रहेगी, इसके अलावा रेस्पोडेन्ट श्रीमती जमना व श्री महेन्द्र कुमार उर्फ हरिशंकर के स्वामित्व में ग्राम धोईन्दा में अन्दर आबादी हल्का श्री रामलाल जी खनाडिया के मकान के पास स्थित मकान व श्री किशनलाल सिंगलवाल के मकान के पास स्थित नोहरा (बाडा) व उक्त वसीयत से प्राप्त अन्य सम्पति रहेगी, जिसमें अपीलार्थी का कोई हक अधिकार एवं कब्जा – आधिपत्य नही हैं और भविष्य में भी अपीलार्थी या उसके वारिसान को उक्त सम्पति में कोई हक अधिकार नही रहेगा एवं न ही अपीलार्थी व उसके वारिसान कोई हक अधिकार क्लेम करेंगे। उक्त राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण में उप तहसीलदार कुँवारिया द्वारा राजस्व ग्राम धोईन्दा में पारित नामान्तरण संख्या 1400 दिनांक 20.06.1995 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 के नामान्तरण को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अपीलार्थी को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा श्री वेणीराम जी की फर्जी वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरण को खोला गया है।

अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टगण के बीच आपसी राजीनामा होने से इस न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही वांछनीय प्रतीत नही होती हैं। पक्षकारान के बीच आपसी राजीनामा के अनुसार नियमानुसार सक्षम स्तर पर दस्तावेज निष्पादित करे। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रषित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

जिला कलक्टर
राजसमन्द